

# दयालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 18.6.2019

क्रमांक रीडर/2019/ 1281

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मूलसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 2  
राजकुमार पत्नी मूलसिंह जाति  
राजपूत निवासी आईदानपुरा,  
मीठड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।

1. गेमरसिंह पुत्र कलसिंह वगैराह जाति राजपूत  
निवासी आईदानपुरा, मीठड़ा तहसील व जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 924/2018

दिनांक-18/06/19

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आईदानपुरा पटवार क्षेत्र मीठड़ा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1649 रकबा 20.16 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 18.6.2019

क्रमांक :- रीडर/2019/ 1282-1285

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मीठड़ा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. खमूलसिंह पुत्र गोविन्दसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी आईदानपुरा, मीठड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी गेमरसिंह पुत्र कलसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी आईदानपुरा, मीठड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर